न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार न्योल
प्रकरण सख्याः— 05/2021 निर्णय दिनांकः—31.07.2024

1. संतोष पिता हकरा जाति भील निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 विना पिता हकरा जाति भील निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री शंकर पिता हकरा जाति भील निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री रमेश पिता हकरा जाति भील निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. श्री दिलीप पिता हकरा जाति भील निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. श्री मान तहसीलदार एवं भुमिधारी अधिकारी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

रेस्पोडेण्टगण

अपील बनाराजगी मौजा जोरावरपुरा में नामान्तरण संख्या 917 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करने
अपील अन्तर्गत धारा 75 भु—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री कर्तव्य शाह अपीलान्ट की ओर से
श्री बालगोविन्द पाटीदार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि अपीलान्टगण व रेस्पोडेण्टगण गांव पीठ के होकर भाई बहिन है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्व. दिलीप पिता हकरा जो कि लाओलाद फोत हो गए है। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है। अपीलान्टगण व रेस्पोडेण्टगण के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजी मौजा जोरावरपुरा में खाता संख्या 359, खसरा नम्बर 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 620, 883/758, 884/769 खेत किता 11 कुल रकबा 3.6665 हैक्टेयर भुमि है जो पैतृक भुमि होकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेण्टगण के पिता हकरा भील के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलान्टगण अपने संयुक्त कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित अपीलग्रस्त आराजी में प्रधानमंत्री सम्मान योजना का लाभ लेने हेतु हाल जमाबंदी की नकल निकलवाई तो जानकारी हुई कि अपीलान्टगण की कब्जेशुदा पैतृक आराजी भुमी राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्टगण के नाम दर्ज है जिस पर अपीलाण्टगण ने पिता की मृत्यु के बाद खोले गए नामान्तरण नकल पटवारी से मिलकर निकालवाई तो पता चला कि राजस्व कर्मचारीयो ने लापरवाही पुर्वक अपीलान्टगण के पिता व रेस्पोडेण्टगण के पिता की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण सख्या 917 की भुमी रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज कर दी है। तथा ग्राम पंचायत जोरावरपुरा ने बिना जांच किये उक्त नामान्तरण संख्या 917 को रेस्पोडण्टगण के विधिक वारिसान होना तस्दिक कर दिया। जबकि अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण हकरा के पुत्र—पुत्री संतान होकर विधिक वारीसान है। ऐसे में हकरा की मृत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरण में विधि एवं नियमानुसार रेस्पोडेण्टगण के साथ अपीलान्टगण का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था लेकिन राजस्व कर्मचारीयों ने रेस्टपोडेण्टगण के साथ मिलीभगत कर उनके नामान्तरण दर्ज कर अपीलान्टगण के साथ लापरवाही बरती गई है।

कमशः पेज 2 पर

ण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्टगण ने राजस्व कर्मचारीयों से नियमानुसार विधिक वारिसान होने से नाम दर्ज करने के लिए कहा गया तो राजस्व कर्मचारीयो ने अपीलान्टगण का नाम दर्ज करने से मना कर दिया। जिस पर अपीलान्टगण ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पर व लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण संख्या 4 से मिलकर खाता दुरूस्त करने कहा तो नाम जोडने से इंकार कर दिया ऐसे में नामान्तरण खोलने की जानकारी होने की म्याद अवधि मे अपील श्रीमान आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत जोरावरपुरा द्वारा बिना किसी पुखता जांच किए कॉलम संख्या 2 में अंकित भुमि के खोले गये नामान्तरण संख्या 917 में जांच परख किए बिना ही रेस्पोडन्टगण के नाम दर्ज कराने दिनांक 05.12.2011 को प्रमाणित किया गया। ऐसे में उक्त नामान्तरण संख्या 917 को खारिज कर शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा मौजा जोरावरपुरा में खाता संख्या 359, खसरा नम्बर 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 620, 883/758, 884/769 खेत किता 11 कुल रकबा 3.6665 हैक्टेयर भुमी को अपीलान्टगण व रेस्पोडेण्टगण के नाम नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है। अपीलांटगण ने अपील में अंकित किया है कि रेस्पोडेण्टगण बिना अपीलान्टगण की सहमति के संयुक्त विरासती आराजी को मात्र नाम के आधार पर किसी को रहन, बक्षीस, विकय एवं अन्य हस्तांतरण नहीं करे। हस्तांतरण किया जाने पर शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि राजस्व कर्मचारी द्वारा अपीलान्टगण की जानकारी किए बिना ही रेस्पोडेन्टगण के नाम खोले गए नामान्तरण संख्या 917 को खोलकर विधि की भारी भुल की गई है। जिससे अपीलांटगण को खामियाजा भुगतना पड रहा है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने पर न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को नोटिस भेजकर तलब किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जरीए अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पाडेण्ट संख्या 3 दिलीप लाओलाद फोत होने से व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने पैरवी करने से इंकार किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 तहसीलदार सीमलवाडा ने जवाब दिया है कि मृतक हकरा के विधिक वारिसान अपीलांटगण होना सिद्ध कराने के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है रेस्पोडेण्ट संख्या 4 भुमिधारी की ओर से कोई अपीलांटगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जोडने पर कोई आपती नहीं है।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील अपीलान्टगण ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की नामान्तरण संख्या 917 को खारिज कर शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा मौजा जोरावरपुरा में खाता संख्या 359, खसरा नम्बर 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 620, 883/758, 884/769 खेत किता 11 कुल रकबा 3.6665 हैक्टेयर भुमी को अपीलान्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्व. दिलीप पिता हकरा के लाओलाद फोत हो जाने से उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरणकरण दर्ज करने बहस की गई है।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि नामान्तरण संख्या 917 को खारिज कर शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा मौजा जोरावरपुरा में खाता संख्या 359, खसरा नम्बर 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 620, 883/758, 884/769 खेत किता 11 कुल रकबा 3.6665 हैक्टेयर भुमी को अपीलान्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्व. दिलीप पिता हकरा के लाओलाद फोत हो जाने से उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरणकरण दर्ज किया जाना उचित समझता हू।

क्रमशः पेज 3 पर

खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मौजा जोरावरपुरा के खाता संख्या 359 आराजी नंबर 198, 199, 201 से 206, 620, 883/758, 884/769 किता 11 रकबा 3.6665 हैक्टेयर के सम्बन्ध में अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 917 को खारिज कर शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार सीमलवाड़ा को रिमाण्ड कर निर्देशित जाता है कि मृतक हकरा पिता कचरू के समस्त विधिक वारीसान की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आदेश आज दिनांक 31/07/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner